nt>

Title: Need to cancel contract of coal plants given by the Bharat Coking Coal Limited to private contractors.

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : अध्यक्ष जी, देश की समस्त कोयला कम्पनियों का राट्रीयकरण एक मई, 1972 एवं एक मई, 1973 को हुआ। कोल माइन्स नैशनलाइजेशन एक्ट, 1972 और अमेंडमैंट एक्ट, 1973 का कांट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एंड ऐबोलिशन एक्ट के तहत ठेकेदारों द्वारा ओवर बर्डन हटाने एवं कोयले का उत्पादन करके बिक्री पर रोक लगायी गयी थी। परन्तु कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा 13 प्लाटों पर ठेकेदारों पर कोयला उत्पादन करने के लिए सौंप दिया गया। प्रबंधन का उक्त कार्य सभी नियमों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन जिला प्रशासन से मिलकर ठेकेदारों से लिये गये सभी प्लाटों पर काफी संख्या में सशस्त्र बल भेजकर कोयले का उत्पादन करने का कार्य शुरू करना चाहता है। कुइंया, बागडगी, बासुदेव पुर कोयलरी आदि स्थानों पर मजदूरों एवं स्थानीय नागरिकों के ऊपर गोली चलने जैसी स्थिति बनी हुई है। मजदूर बहुत आक्रोशित हैं। एक तरफ प्रबंधन मजदूरों को सरप्लस बता रहा है और दूसरी ओर ठेकेदारों को कोयले का प्लाट देकर निजी मालिकों को कोयला खदान सौंप रहा है। प्रबंधन इस कार्य से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सपनों को चकनाचूर कर बीसीसीएल के 95 हजार मजदूरों की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है जिससे बीसीसीएल के मजदूर एवं जनता कतई स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।

मैं आपका ध्यान आकर्ति करते हुए कहना चाहता हूं कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों को जो कोयले का प्लाट आवंटित किया गया है, जो ठेकेदार उन प्लाटों से अपनी बंदूक की नोक के बल पर उत्पादन करना चाहते हैं, इसे अविलम्ब रद्द करने का आदेश दिया जाए ताकि कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की रक्षा के साथ-साथ व्यापक पैमाने पर होने वाली हिंसा से मजदूरों को बचाया जा सके और स्वर्गीय इंदिरा जी के सपनों को साकार किया जा सके।